[2019] 4 एससीआर 247

दाऊवालाल @ गणेश देवांगन और अन्य
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 478–479) 15 मार्च, 2019
[उदय उमेश ललित और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तिगण।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 आर/डब्ल्यू एस.149 और एस.147, 148, 323, 342, 450 — सूचनादाता–पीडब्ल्यू– द्वारा दर्ज प्राथमिकी कि उसके चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया गया था – अपीलकर्ताओं सहित 17 व्यक्तियों पर धारा 147, 148, 323, 342 और 450 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। (ख) उच्चतम न्यायालय के समक्ष 9 अभियुक्तों द्वारा दायर 2016 के मामले में 5 याचिकाकर्ताओं के संबंध में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं पाया गया था – जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं (चार आरोपी व्यक्तियों) का संबंध है, ने कहा: एक गैरकानूनी सभा द्वारा किए गए अपराध में, परोक्ष दायित्व के सिद्धांत से, गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी होगा, भले ही उसने स्वयं वास्तविक कार्य न किया हो – लेकिन तथ्यों को स्पष्टता के साथ इंगित करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया कि किसी भी अपीलकर्ता ने घर के अंदर घुसकर पीडब्ल्यू–2 के चचेरे भाई को घसीटा था – पीडब्ल्यू 2 और 4 (मृतक के बेटे) के बयान के अनुसार, उनकी उपस्थिति सड़क पर घर के बाहर थी, जहां 25–30 लोग इकट्ठा हुए थे। 17 व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था और मुकदमे के लिए भेजा गया था – पीडब्ल्यू –2 ने अपनी प्राथमिकी में किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया था, जबकि अदालत में उनके बयान में अपीलकर्ताओं के नाम आए थे, हालांकि तब भी उन्होंने अपीलकर्ताओं को किसी भी कृत्य का श्रेय नहीं दिया – पीडब्ल्यू –3 (मृतक की विधवा) ने भी किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया – पीडब्ल्यू –4 के साक्ष्य ने कुछ भूमिका का संकेत दिया लेकिन दावे का वह हिस्सा होना चाहिए। इस तथ्य के प्रकाश में देखा गया कि लेनदेन का पहला हिस्सा होते ही उसे और उसके भाई को पीडब्ल्यू –3 द्वारा छिपा दिया गया था और कुछ 7 व्यक्ति घर के अंदर घुस गए – शायद यही कारण है कि पीडब्ल्यू –3 भी किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं ले सका – उचित से परे स्थापित नहीं किया गया।

संदेह है कि अपीलकर्ता उन अपराधों के दोषी थे जिनके साथ उन पर मुकदमा चलाया गया था – अपीलकर्ताओं को दिए गए संदेह का लाभ – उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय

1.1 एक गैरकानूनी सभा द्वारा किए गए अपराध में परोक्ष दायित्व के सिद्धांत द्वारा, गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी होगा, भले ही उसने स्वयं वास्तविक कार्य न किया हो। लेकिन तथ्यों को स्पष्टता के साथ इंगित करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में गैरकानूनी सभा का सदस्य था। अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया कि किसी भी अपीलकर्ता ने घर के अंदर घुसकर मृतक परसराम को घसीटा था। पीडब्ल्यू 2 और 4

के संस्करण के अनुसार, अपीलकर्ता की उपस्थिति उस गली में घर के बाहर थी, जहां 25–30 लोग इकट्ठा हुए थे। इस तरह की सभा में से, 17 व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था और मुकदमे के लिए भेजा गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्ल्यू –2 ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया था, जबकि अदालत में उनके बयान में अपीलकर्ताओं के नाम उनकी गवाही में आए थे। तब भी उन्होंने अपीलकर्ताओं को किसी भी कृत्य का श्रेय नहीं दिया। पीडब्ल्यू–3 में भी किसी अपीलकर्ता का नाम नहीं है। पीडब्ल्यू –4 के साक्ष्य ने कुछ भूमिका का संकेत दिया था, लेकिन दावे के उस हिस्से को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना आवश्यक है कि लेनदेन का पहला हिस्सा होते ही उसे और उसके भाई को उनकी मां ने छिपा दिया था और कुछ 7 व्यक्ति घर के अंदर घुस गए थे। शायद यही कारण है कि मां भी किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं ले सकी। [पैरा 10, 11] [252–एच; 253–ए–डी]

1.2 यह उचित संदेह से परे स्थापित नहीं है कि अपीलकर्ता उन अपराधों के दोषी थे जिनके साथ उन पर मुकदमा चलाया गया था। इसलिए, अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। [पैरा 12] [253–ई] आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2019 की संख्या 478–479। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बिलासपुर स्थित न्यायालय के दिनांक 15.06.2015 के निर्णय एवं आदेश से वर्ष 2000 की आपराधिक अपील संख्या 410 और वर्ष 2000 की धारा 698 में आदेश दिया गया है। दाऊवालाल @ गणेश देवांगन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) [उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति।

अजीत शर्मा (एसी), नवीन प्रकाश, मीतू सिंह, अंशुमन श्रीवास्तव, अभिजीत श्रीवास्तव, बी. रमन्ना मूर्ति, अपीलकर्ताओं के वकील।

उत्तरदाताओं के लिए सुमीर सोढ़ी, अमन नंदराजोग, आशीष तिवारी, सूर्यकमल मिश्रा, अधिवक्ता। न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति।

1. ये अपीलें चार मूल आरोपियों संतोष कुमार, दाऊवालाल @ गणेश देवांगन, मनोहर वर्मा और पुनीतराम वर्मा (मूल आरोपी संख्या 6, 12, 13 और 16) के आग्रह पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15.06.2015 के सामान्य फैसले और आदेश को चुनौती देने की मांग करती हैं! जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ 2000 की आपराधिक अपील संख्या 410 और 698 को खारिज किया गया था।

2. मुखबिर नेतराम (बाद में पीडब्ल्यू–2 के रूप में जांच की गई) से दिनांक 24.02.1997 को रात 12:05 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन भाटापारा (ग्रामीण), जिला रायपुर में प्राप्त सूचना के अनुसरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्सटी–पी–60) दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार मुखबिर के चचेरे भाई परसराम यादव, उप सरपंच, ग्राम जरोद, भाटापारा पर 23.02.1997 को रात लगभग 9.00 बजे जानलेवा हमला किया गया था। संबंधित सूचना में मृतक के घर के बाहर एकत्र हुए 25–30 लोगों की भीड़ से कुछ लोगों को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। जानकारी इस प्रकार थी:–

उन्होंने कहा, 'भुनेश्वर वर्मा, कामता प्रसाद यादव, मोहन वर्मा, कौशल वर्मा, गयाराम वर्मा, संतोष वर्मा, बिहारी लाल
वर्मा, शंकर लाल वर्मा, भरत लाल वर्मा, वीरेंद्र उर् टटकू वर्मा, दाऊलाल उर्फ गणेश देवागन, पुनीत राम वर्मा आदि उनके गांव के 25–30 लोग मेरे घर पर आए। भाई परसराम यादव, उप सरपंच, ग्राम–पंचायत, जरोद, दुश्मनी के कारण और उसे मारने के इरादे से और होने के कारण एकमत होकर लाठी, डंडा, खोतलाते से लैस होकर

गंदी गालियां देते हुए और परसराम के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और वे परसराम को उसके घर से खींचकर बाहर आंगन में ले गए और लाठी, डंडा से उसकी पिटाई की और भुनेश्वर वर्मा ने परसराम के सिर पर लगभग 15–20 किलो वजन का पत्थर मारा और उसकी मौत हो गई, जिससे उसका मस्तिष्क खोपड़ी से बाहर बिखर गया।

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

3. जांच के दौरान, 17 व्यक्तियों के नाम संदिग्ध के रूप में सामने आए। अपीलकर्ताओं सहित उन 17 व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 342 और 450 के साथ–साथ 1997 के सत्र मामले संख्या 359 में धारा 302 और 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

4. पीडब्ल्यू–1 डॉ. एडी पुरेना, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने कहा कि पूरे शरीर पर बाहरी चोटें थीं। सिर कुचल दिया गया था, खोपड़ी की हड्डी पर कई फ्रैक्चर के साथ घाव थे, मस्तिष्क सामग्री अनुपस्थित थी और खोपड़ी की हड्डियां विभिन्न आकारों में टूटी हुई थीं, संख्या में कई थीं।

5. चश्मदीद गवाह का विवरण निम्नानुसार था:–

I. PW–2 – नेतराम, मृतक का चचेरा भाई अपनी मुख्य परीक्षा मे कहा:– उन्होंने कहा, 'मैंने अपने भाई परसराम के दरवाजे पर लाठी की आवाज सुनी, फिर मैं बाहर आया और देखा कि दयाराम, रोशन, ओंकार, विनोद, टटकू, दौवा, मनोहर, मोहन, भुवन और पुनीत वहां थे। मेरा भाई परसराम ग्राम जरोद का उप सरपंच है। जिसके कारण आरोपी व्यक्तियों के बीच तब से दुश्मनी और झगड़ा चल रहा था। जब मैंने देखा, उस समय आरोपी व्यक्ति जोर–जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि 'निकालो साले को'। दरवाजा खुला हुआ था और बिहारी, शंकर, हरि, विनोद, सुनेश्वर, भरत और कामता नाम के सात लोग घर के अंदर मेरे भाई को पीट रहे थे। मैं मौके पर पहुंचा और आरोपी व्यक्तियों से अनुरोध किया कि वे मेरे भाई को न पीटें, मैंने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया। इसके बाद, बिहारी को घसीटा गया और मेरे भाई को बाहर निकाला गया, जिसका मैंने विरोध किया, फिर बिहारी ने मेरे सिर पर वार किया। इसके बाद, कामता पीछे से आया और लाठी को मेरे सिर पर मारा। इस पर मैं कांप गया और हैरान हो गया। तभी मेरी पत्नी दुलारी बाई ने मुझे दोनों हाथ से पकड़ लिया और मेरे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और मैंने घटना को दरवाजे के गैप से झांकते हुए देखा। सभी आरोपियों ने मेरे भाई को पारछी से बाहर निकाला और लाठी को मारा जिसके कारण मेरा भाई बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। इसके बाद, बिहारी ने बताया कि वह जीवित हो सकता है इसलिए पत्थर मारा। इसके बाद भानेश्वर, बिहारी, शंकर, टेटकू, विनोद ने पत्थर मारा और हंसते हुए चले गए।

पीडब्ल्यू–3 – मृतक परसराम की विधवा उर्मिला ने गवाही दी: – दाऊवालाल @ गणेश देवांगन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) [उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति।

उन्होंने कहा, 'उस समय आरोपी बिहारी, कौशल, हरि, भरत, भुवनेश्वर, टेटकू, कामता, मोटे आदि आए थे. वे लाठी से लैस थे। आरोपी मेरे घर आए और मेरे पति के साथ मारपीट की। उस समय मेरे पति तखत पर सो रहे थे। उन्होंने उसे नीचे उतारा और उसके साथ मारपीट की। जब मैंने आरोपियों को हमला करने से रोका, तो बिहारी ने मुझे भागने के लिए कहा अन्यथा वे मुझे भी मार सकते हैं। इसके बाद, वे मेरे पति को घर से खींचकर पारछी ले गए और वहां उनके साथ मारपीट की। फिर वे उसे परच्छी से खींचकर आंगन में ले गए और फिर बिहारी, भुवनेश्वर ने मृतक परसराम के सिर पर पत्थर मारने की कसम खाई और फिर वे मेरे घर पर रखे पत्थर को ले आए और मेरे पति पारस के सिर पर वार किया। बिहारी, हरि, भरत ने पत्थर सिर पर मारा, जिससे मेरे पति का सिर टूट गया और उनकी मौत हो गई। पीडब्ल्यू –4 – नरेंद्र, मृतक परसराम के 11 वर्षीय बेटे ने कहा कि उसने 7 व्यक्तियों को देखा था जो घर के अंदर आए और फिर अपने पिता को बाहर खींच लिया। पिता को

इतना घसीटकर बाहर निकाले जाने के बाद आरोपी ने उसके पिता के साथ मारपीट की थी। उन्होंने घटना के पहले भाग में किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया, लेकिन अपीलकर्ताओं को उस विधानसभा का हिस्सा होने के लिए नामित किया गया था जिसने घर के बाहर उनके पिता पर हमला किया था।

6. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, जिला रायपुर ने दिनांक 29.01.2000 के अपने निर्णय और आदेश से पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला पूरी तरह से स्थापित कर लिया है। सभी 17 अभियुक्त व्यक्तियों को उन अपराधों का दोषी पाया गया जिनके साथ उन पर आरोप लगाए गए थे और सजा का आदेश निम्नानुसार था:

"1... ... प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 148 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 450 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1000/– रुपये का जुर्माना और धारा 342 के तहत धारा 323 शामिल है, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1000/– रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास दिया जाता है और धारा 357 सीआरपीसी के तहत मुआवजे के रूप में आरोपी व्यक्तियों से प्राप्त जुर्माने में से मृतक की पत्नी को 20,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी और न्यायिक हिरासत की अवधि को सजा की अवधि से समायोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

7. उच्च न्यायालय में क्रमशः 10 दोषी अभियुक्तों और 7 दोषी अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ 2000 की आपराधिक अपील संख्या 410 और 698 को प्राथमिकता दी गई थी। मूल आरोपी संख्या 10, बीरेंद्र कुमार को घटना की तारीख पर किशोर पाया गया था और उसके मामले को तदनुसार अलग कर दिया गया था। अपने फैसले और आदेश से, जो वर्तमान में अपील के अधीन है, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की और दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद, 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सीआर) संख्या 457–458 को इस अदालत में 9 दोषी अभियुक्तों द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। 29.01.2016 को इस अदालत ने 5 याचिकाकर्ताओं अर्थात् कामता प्रसाद, शंकरलाल वर्मा, भरतलाल वर्मा, हरिराम वर्मा और विनोद वर्मा के संबंध में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। हालांकि, जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं का संबंध है, नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद इस मामले में दोनों पक्षों को सुना गया था।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन प्रकाश ने तर्क दिया:

I. अपीलकर्ताओं का नाम पीडब्ल्यू –2 नेतराम ने अपने पहले प्रतिवेदन में नहीं लिया था

II. हालांकि, अदालत में अपनी जांच में कहा गया कि नेतराम ने अपीलकर्ताओं का नाम लिया था, लेकिन उन्हें किसी विशेष कृत्य का श्रेय नहीं दिया।

पीडब्ल्यू –3, मृतक की विधवा उर्मिला ने अपनी गवाही में अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया।

पीडब्ल्यू –4 ने अपीलकर्ताओं को उस भीड़ के हिस्से के रूप में नामित किया था जो घर के बाहर इकट्ठा हुई थी और मृतक पर हमले के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि, जिरह में उसने स्वीकार किया था कि आरोपी उसके पिता के साथ मारपीट कर रहे थे जबकि उसकी मां ने उसे और उसके भाई को घर के अंदर छिपाकर रखा था।

9. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं

की भागीदारी की ओर इशारा करती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को पीडब्ल्यू 2 और 4 दोनों द्वारा नामित किया गया था और इस तरह अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।

10. यह सच है कि एक गैरकानूनी सभा द्वारा परोक्ष दायित्व के सिद्धांत द्वारा किए गए अपराध में, गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी होगा, भले ही उसने स्वयं वास्तविक कार्य न किया हो। लेकिन तथ्यों को स्पष्टता के साथ इंगित करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में दाऊवालाल @ गणेश देवांगन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) था [उदय उमेश ललित, जे।

गैरकानूनी सभा का सदस्य। अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया कि किसी भी अपीलकर्ता ने घर के अंदर घुसकर मृतक परसराम को घसीटा था। पीडब्ल्यू 2 और 4 के संस्करण के अनुसार, अपीलकर्ता की उपस्थिति उस गली में घर के बाहर थी, जहां 25–30 लोग इकट्ठा हुए थे। इस तरह की सभा में से, 17 व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था और मुकदमे के लिए भेजा गया था।

11. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्ल्यू –2 नेतराम ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया था, जबकि अदालत में उनके बयान में अपीलकर्ताओं के नाम उनकी गवाही में आए थे। तब भी उन्होंने अपीलकर्ताओं को किसी भी कृत्य का श्रेय नहीं दिया। पीडब्ल्यू –3 – उर्मिला ने भी किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया। पीडब्ल्यू –4 नरेंद्र के साक्ष्य ने कुछ भूमिका का संकेत दिया था, लेकिन दावे के उस हिस्से को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि लेनदेन का पहला हिस्सा होते ही उसे और उसके भाई को उनकी मां ने छिपा दिया था और कुछ 7 लोग घर के अंदर घुस गए थे। शायद यही कारण है कि मां भी किसी भी अपीलकर्ता का नाम नहीं ले सकी। इन प्रमुख विशेषताओं की पृष्ठभूमि में, अपराध में अपीलकर्ताओं की भागीदारी के बारे में सवाल उठता है।

12. सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारे विचार में, यह उचित संदेह से परे स्थापित नहीं है कि अपीलकर्ता उन अपराधों के दोषी थे जिनके साथ उन पर मुकदमा चलाया गया था। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हैं। इसलिए, अपील को स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। उन्हें तब तक स्वतंत्रता दी जाए जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

अपील स्वीकृत।

देवेश त्रिपाठी

अपर सिविल जज, प्रथम (जू०डि०)/जे. एम.

सहारनपुर।